## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 302/2025

श्री रामावतार आजाद, ग्राम पोस्ट रामपुरा बेरी, तहसील राजगढ, जिला चूरू ( राज0 ) पिन कोड 331301

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक ) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

**आदेश**

**दिनांक 14.08.2025**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 302/2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक ) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3596–97 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक ) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2025/2999 दिनांक 30.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामावतार आजाद निवासी रामपुरा बेरी, तहसील राजगढ, जिला चूरू का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर इस कार्यालय मे दिनांक 27.05.2025 को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध मे प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/2025/आरटीआई/608 दिनांक 04.06.2025 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक कार्य से संबंधित है। न्यायालय से संबंधित पत्रावलियों की नकल पक्षकार ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी यदि मुकदमा नं0 25/2025 उनवान सुरेन्द्र बनाम नरेन्द्र मे पक्षकार हो तो विधिक प्रक्रियानुसार नकल का आवेदन पत्र न्यायालय मे पेश कर नकल प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट ) झुंझुनूं पत्रांक आरटीआई/2025/2999 दिनांक 30.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामावतार आजाद निवासी रामपुरा बेरी, तहसील राजगढ, जिला चूरू का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के कार्यालय द्वारा अन्तरित होकर उनके कार्यालय मे दिनांक 27.05.2025 को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध मे प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रीडर / 2025 / आरटीआई / 608 दिनांक 04.06.2025 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक कार्य से संबंधित है। न्यायालय से संबंधित पत्रावलियों की नकल पक्षकार ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी यदि मुकदमा नं0 25 / 2025 उनवान सुरेन्द्र बनाम नरेन्द्र मे पक्षकार हो तो विधिक प्रक्रियानुसार नकल का आवेदन पत्र न्यायालय मे पेश कर नकल प्राप्त कर सकता है। चूंकि अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है कि न्यायालय से संबंधित पत्रावलियों की नकल पक्षकार ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी यदि मुकदमा नं0 25 / 2025 उनवान सुरेन्द्र बनाम नरेन्द्र मे वे पक्षकार हो तो विधिक प्रक्रियानुसार नकल का आवेदन पत्र न्यायालय मे पेश कर नकल प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरूण गर्ग )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं